स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) उ0प्र0
की 17वीं बैठक दिनांक 30.07.2015 (गुरूवार) का
कार्यवृत्त

बैठक स्थान– मुख्य सचिव, सभागार एनेक्सी भवन, उ0प्र0 शासन लखनऊ

उपस्थिति– संलग्न है।

अध्यक्ष एसएलएनए/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्मानित सदस्य गण एवं विभागीय अधिकारी गण की उपस्थिति में एसएलएनए की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए/विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए एजेण्डावार विवरण प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श पश्चात् बैठक में निम्नप्रकार निर्णय लिये गये।

1. एसएलएनए की दिनांक 11.07.2014 में आयोजित 16वीं बैठक के कार्यवृत्त पर सर्वम्मति से पुष्टि की गयी।
2. एसएलएनए की 16वीं बैठक दिनांक 11.07.2014 में लिये गये निर्णयों के बिन्दुओं अनुपालन की स्थिति से सदन को अवगत कराया गयाः–

(i) शासन के पत्र संख्या–73/58–परती– 2014/8(3)/2011 दिनांक 08.08.2014 द्वारा प्रदेश के 49 जनपदों में 443 माइक्रोवाटरशेड की 58 परियोजनायें, जिनका क्षेत्रफल 2,92,719 हे0 है, के पीपीआर तैयार कराकर स्टेट लेवल नोडल एजेंसी (SLNA) की 16वीं बैठक दिनांक 11.07.2014 में अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। दिनांक 10.11.2014 को भारत सरकार की स्टेयरिंग कमेटी की 38वीं बैठक में 49 जनपदों की 58 परियोजनाओं के प्रस्तुत पीपीआर को मूल्यांकन पश्चात् स्वीकृत किया गया।

(ii) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(iii) एसएलएनए के पत्र संख्या 498/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आवश्कतानुसार भविष्य में शासनादेश दिनांक 18.11.2013 को रिविजिट कर रिकास्ट किया जायेगा।

(iv) एसएलएनए के पत्र संख्या 498/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आवश्कतानुसार भविष्य में शासनादेश दिनांक 18.11.2013 को रिविजिट कर रिकास्ट किया जायेगा।

(v) एसएलएनए के पत्र संख्या 498/ एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आवश्कतानुसार भविष्य में शासनादेश दिनांक 3.12.2013 को रिविजिट कर रिकास्ट किया जायेगा।

(vi) एसएलएनए के पत्र संख्या 498/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आवश्कतानुसार भविष्य में शासनादेश दिनांक 3.12.2013 को रिविजिट कर रिकास्ट किया जायेगा।

(vii) परती भूमि विकास विभाग उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 87/85–परती–14 /8(22)/2011 दिनांक 19.08.2014 द्वारा जिलाधिकारी/ अध्यक्ष वाटरशेड कम डाटा सेन्टर चित्रकूट को जनपद चित्रकूट में वर्ष 2011–12 में स्वीकृत परियोजना आईडब्लूएमपी–XII का अधिकांश जल संग्रहण क्षेत्र वन विभाग के नियंत्रण में होने के कारण रानीपुर वन्य जीव विहार, कैमूर वनजीव प्रभाग मिर्जापुर को पी0आई0ए0 नामित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये जा चुके है।

(viii) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(ix) एसएलएनए के निर्देशानुसार सेवा प्रदाता के चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा एसएलएनए के पत्र संख्या 744/एसएलएनए/सर्वि.प्रो./2014–15 दिनांक 10.12.2015 द्वारा चयनित सेवा प्रदाता को आदेश निर्गत किया गया है।

(x) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(xi) अधिक दायित्व सृजित होने के कारण संस्थागत मद की धनराशि का समायोजन नहीं हो पाया। भविष्य में संस्थागत मद में प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन कर लिया जायेगा।

(xii) भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से संस्थागत मद में रु0 596.03 लाख प्राप्त हुआ है।

(xiii) स्टेट लेवल नोडल एजेंसी (एसएलएनए) से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त शासन के पत्र संख्या–86/85–परती–2014/1 (समादेश)/08 टीसी दिनांक 19.08.2014 द्वारा भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आईडब्ल्यूएमपी– प्रथम एवं आईडब्ल्यूएमपी – चतुर्थ परियोजनाओं के क्षेत्र में हुये परिवर्तन के दृष्टिगत संशोधित क्षेत्र का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(xiv) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(xv) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(xvi) दिनांक 11.07.2014 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में संस्थागत व्यवस्था एवं विभागीय ढांचा सुदृढ करने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–108/85–परती–2014/1 (समादेश)/2008 दिनांक 15.08.2014 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्टेट लेवल नोडल एजेंसी का पुर्नगठन किया गया जिसमें सचिव/ प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास